नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 1994

संख्या पी0 सी0— 94 / 798— पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूचि में यथाविनिदिष्ट तथा इससे संलग्न नक्शें में दर्शाए गए अनुसार गांव धोरका, तहसील और जिला गुड़गांव में राजकीय प्राइमरी विद्यालय के आस पास के क्षत्रों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:—

अनुसूची

गांव धोरका, तहसील और जिला गुड़गांव में राजकीय प्राईमरी विद्यालय के इर्द–गिर्द के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा–अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 429/93 दिनांक 25 मई, 1993 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर : बिन्दु 'क' से लेकर अर्थात गांव झुण्ड सराय वीरन की आयत संख्या 3 का उत्तर—पश्चिम कोना, इसके बाद गांव झुण्ड सराय वीरन की आयत संख्या 3 और 4 गांव धनावास की आयत संख्या 21, 22, 23, 24 तथा 25 की उत्तरी सीमा के साथ–2 पूर्व की ओर बिन्दु 'ख' तक जो उक्त गांव की आयत संख्या 25 का उत्तर—पूर्वी कोना है।

पूर्वः उसके बाद गांव धोरका की आयत संख्या 25, 27 तथा 37 की पूर्वी सीमा के साथ—2 और गांव मेओका की आयत संख्या 28 की पूर्वी सीमा के साथ—2 दक्षिण की ओर बिन्दु 'ग' तक जो गांव मेओका की आयत संख्या 23 का दक्षिण—पूर्वी कोना है।

दक्षिण: उसके बाद गांव मेओका की आयत संख्या 23 और गांव धोरका की आयत संख्या 38, 39, 40, 41 तथा 42 की दक्षिणी सीमा के साथ–2 पिश्चिम की ओर और उसके बाद गांव अंगरौला की आयत संख्या 5,6 तथा 9 की दक्षिणी सीमा के साथ–2 बिन्दु 'घ' तक जो उक्त गांव की आयत संख्या 9 का दक्षिण–पश्चिमी कोना है।

पश्चिमः उसके बाद गांव अंगरौला की आयत संख्या 9 और गांव झुण्ड सराय वीरन की आयत संख्या 20, 7, 8 तथा 3 की पश्चिमी सीमा के साथ–2 उत्तर की ओर बिन्दु 'क' तक अर्थात आरम्भ के बिन्दु तक।

प्रदीप कुमार, आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

150

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN.31, 1994 (MAGHA 11, 1915 SAKA)

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT Notification

The 25th January, 1994

No. PC-94/798- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf , the Governor of Haryana hereby declares the area around Government Primary School at village Dhorka, tehsil and district Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of controlled area around Government Primary School at village Dhorka, tehsil and district Gurgaon to be read with Drg No. DTP(G) 429/93, dated 25th May, 1993.

North: Starting from point 'A' i.e. north-west corner of Rect.No. 3 of Village Jhund Sarai Viran, thence to wards east along the northern boundary of Rect. No. 3 & 4 of village Jhund Sarai Viran and Rect. No. 36 & 35 of Village Dhanawas and Rect. No. 21, 22, 23, 24 & 25 of Village Dhorka upto point 'B' which is the north east corner of Rect. No. 25 of the said Village.

East : Thence, towards south along eastern boundary of Rect. No. 25, 27 & 37 of Village Dhorka and along eastern boundary of Rect.No. 23 of Village Meoka upto point 'C' which is the south-east corner of Rect. No. 23 of Village Meoka.

South: Thence, towards west along the southern boundary of Rect. No. 23 of Village Meoka and Rect. No. 38, 39, 40, 41 & 42 of Village Dhorka and further along southern boundary of Rect. No. 5, 6 & 8 of village Bhangraula upto point 'D' which is a south-western corner of Rect. No. 9 of said village.

West: Thence, towards north along the western boundary of Rect. No. 9 of Village Bhangruala and Rect.No.20, 7, 8 and 3 of village Jhund Sarai Viran upto 'A' i.e. the point of start.

PRADEEP KUMAR

Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department.